Chemicals Corporation Ltd. plant due to equipment problems; and

(iv) recurrent gas shortages in the gas-based fertilizer plants alimented ex-Hazira and the delay in the scheduled augmentation of gas supply along the HBJ pipeline.

The units producing phosphatic fertilizes had to cut back production due to demand stagnation, funds constraints and uncertainty over the availability/level of the special concession prevailing during the period of peak Kharif demand.

Melghat Project Tiger

*248. SHRI V. RAJESHWAR RAO:
DR. SHRIKANT
RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) how much money is being spent annually on the protection of the tigers in the Melghat Project Tiger in the Amaravati District of Maharashtra;

(b) how much money spent on the protection of the poor tribals from these tigers;

(c) while evolving a policy and programme to protect the tigers in this area what was in the mind of the policy makers to do in order to protect the poor tribals from the tigers; and

(d) what steps will be taken to protect the tribals?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) to (d) Money released under Centrally Sponsored Scheme of Project Tiger is meant for conservation of Tiger and its ecosystem. However, local people including tribals get some employment through this scheme. Beneficiary Oriented Tribal Development Scheme has been launched for relocation of tribals from included villages to protect the tribals from tiger. The boundary of Melghat Tiger Reserve has been realigned and 39 densely populated villages have been excluded from Sanctuary. Eco-development schemes are being implemented for fringe dwellers including tribals to reduce man animal conflict.

The year-wise Central Assistance released during VIIIth Five Years Plan is as follows:—

Project Tiger Scheme

Year	*Central Assistance Amount (In rupees)*
1992-93	44,14,700
1993-94	36,71,300
1994-95	44,47,500
1995-96	45,35,300
1996-97	32,25,000
Eco-Development Scheme	
1992-93	5,59,700
1993-94	10,91,000
1994-95	5,07,600
1995-96	18,01,100
1996-97	7,72,500

रिंग रेल सेवा के अन्तर्गत यात्रा कर रहे व्यक्ति

*249. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में रिंग रेलवे में प्रतिदिन औसतन कितने व्यक्ति यात्रा करते हैं;

(ख) क्या रिंग रेलवे का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन कितने व्यक्तियों द्वारा यात्रा करने की संभावना है; और

(घ) इस योजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) 1996-97 के दौरान रिंग रेल, दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 3435 यात्रियों ने यात्रा की थी।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की उप-समिति की 24.9.96 को हुई बैठक में यह विनिश्चय किया गया था कि रिंग रेलवे को सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त रेलपथ बिछाने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार द्वारा अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की उप-समिति की 10.6.97 को हुई एक अन्य बैठक में, दिल्ली में दैनिक यात्री यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित निवेश की पहचान करने हेतु व्यापक तकनीकी आर्थिक अध्ययन शुरू करने का विनिश्चय किया गया था। भविष्य में रिंग रेलवे और कितनी लोकप्रिय होगी, इसका पता अध्ययन पूरा होने के बाद ही चल सकेगा।

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर ही परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जायेगा।

माल गाड़ियों का दुर्घटनाग्रस्त होना

*250. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 में माल-गाड़ियों की जोन-वार कितनी-कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इनमें से कितनी मालगाड़ियों में अधिक लदान (ओवर लोडिंग) किया गया पाया गया;

(ग) अधिक लदान के संबंध में किन अधिकारियों को दोषी माना गया था; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान मालगाड़ियों में अधिक लदान करने के मामले में दोषी पाए गए रेल कर्मचारियों तथा अन्य अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) सूचना इस प्रकार है:

	मध्य	पूर्व	उत्तर	पूर्वो	पू०सी०	दक्षिण	दक्षिण मध्य	दक्षिण पूर्व	पश्चिम	जोड़
1994-95	38	16	40	3	40	23	22	66	30	278
1995-96	31	13	19	9	12	25	16	40	22	187

(ख) 4

(ग) और (घ) लदान स्थलों आदि पर लदान के कार्य की जिम्मेदारी मुख्य रुप से परेषण की होती है। इस संबंध में कोई रेल कर्मचारी जिम्मेदार नहीं पाया गया था।

रेल पटरियों पर उपेक्षित पड़े रेल इंजन तथा यात्री डिब्बे

*251. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुर्घटनाओं तथा अन्य कारणों से कितने रेल इंजन तथा यात्री डिब्बे रेल पटरियों पर उपेक्षित पड़े हैं;

(ख) क्या इन इंजनों तथा डिब्बों को कबाड़ियों द्वारा रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिली भगत से टुकड़ों में चोरी की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इन असुरक्षित रेल इंजनों/डिब्बों को संरक्षण प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विभिन्न स्थानों पर पड़े इन असुरक्षित रेल इंजनों /डिब्बों का कुल मूल्य क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जुलाई, 97 की शुरु की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल के विभिन्न जोनों में दुर्घटनाग्रस्त 86 सवारी डिब्बे रेलपथ के आस-पास पड़े हुए हैं। इन सवारी डिब्बों को त्यागा नहीं गया है अपितु ये फिर से काम में आने लायक बनाए जाने अथवा साइट पर नीलाम किए जाने की प्रक्रिया के अधीन है। रेल पटरी पर अथवा उसके आस-पास कोई भी रेल इंजन पड़ा हुआ नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, निपटान की जाने वाली परिसंपत्तियों को निरपवाद रुप से तब तक के लिए रेल सुरक्षा बल को सौंप दिया जाता है जब तक उनमें से कीमती हिस्सों को निकाल नहीं लिया जाता।

(घ) जुलाई, 97 के प्रारंभ में भारतीय रेल के विभिन्न जोनों में रेलपथ के आस-पास पड़े हुए निपटान किए जाने वाले सवारी डिब्बों का कुल मूल्य लगभग 423.92 लाख रुपए है।